



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255801
CG-DL-E-27072024-255801

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2869]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27, 2024/श्रावण 5, 1946

No. 2869]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 2024/SHRAVANA 5, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

सं. 52/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3010(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों कि शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसी का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	नियुक्त की गयी साधारण न्यायनिर्णयन प्राधिकरण।
(1)	(2)	(3)	(4)
मैसर्स इयान मैकलॉड डिस्टिलर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, ई-13/21, डीएलएफ सिटी-1 गुडगांव - 122002 हरियाणा	C.No.VII(B)40/ICD-GH/इयान मैकलियोड /821/19-20/3278-3282 दिनांक 13.03.2020	संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (in-situ) आईसीडी, गढी हरसरू गुडगांव, हरियाणा	प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पटपड़गंज और अन्य आईसीडी, नई दिल्ली-110096
	C.No.CUS/SVB/61/2024-ICDCKHW-CUS-Prev-जोधपुर दिनांक 01.05.2024	सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, आईसीडी, खाटूवास	
	C.No. VIII/ICD/RE/IAN Mac/WH/32/21-22/17 दिनांक 03.05.2024	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, रेवाड़ी	
	C. No. VIII(B)40/ICD पाटली/इयान मैकलियोड/ SVB/19/2024/151 दिनांक 06.05.2024	उपायुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, पाटली, गुरुग्राम	

[फा. सं. 466/30/2024-सीमा शुल्क.V]

मेघा बंसल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

No. 52/2024-Customs (N.T.)

S.O. 3010(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely: -

TABLE

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
M/s Ian Macleod Distillers India Pvt. Ltd., E-13/21, DLF City-1 Gurgaon – 122002 Haryana	C. No. VII(B)40/ICD-GH/ IAN Macleod/821/19-20/3278-3282 dated 13.03.2020	Joint Commissioner of Customs (in-situ) ICD, Garhi Harsaru Gurgaon, Haryana	Pr/Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot Patparganj & Other ICDs, New Delhi-110096
	C.No.CUS/SVB/61/2024-ICDC-KHW-CUS-Prev-Jodhpur dated 01.05.2024	Assistant Commissioner ICD, Khatuwas	
	C.No. VIII/ICD/RE/IAN Mac/WH/32/21-22/17 dated 03.05.2024	Assistant Commissioner of Customs ICD, Rewari	
	C. No. VIII(B)40/ICD Patli/Ian Macleod/SVB/19/2024/151 dated 06.05.2024	Deputy Commissioner of Customs, ICD, Patli, Gurugram	

[F. No. 466/30/2024-Cus.V]
MEGHA BANSAL, Under Secy.